न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 198/2012 **दायरा दिनांक : 27.06.2012**

उनवान

हेमराज, आयु 54 वर्ष पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कोशल्याबाई बेवा धन्नालाल वर्तमान में पत्नी रामकल्याण किराड, निवासी समरानिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— छीताबाई पुत्री धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद नाबालिग कथित वली कौशल्याबाई

3— मोरबाई पुत्री धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद नाबालिग कथित वली कौशल्याबाई

4— लेखराज पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद नाबालिग कथित वली कौशल्याबाई

5— छीतरलाल पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी जीरोद, तहसील अटरू, जिला बारां

6— रघुनाथ पुत्र नाथूलाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद, तहसील अटरू, जिला बारां

7— नन्दकिशोर पुत्र बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी बिछालस, तहसील अटरू, जिला बारां

8— सत्यनारायण पुत्र तोलाराम जाति मीणा, निवासी बिछालस, तहसील अटरू, जिला बारां

9— महावीर पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी सिन्धपुरिया की झोपडिया,

10— शांतिबाई उर्फ कान्ती पुत्री धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद, तहसील अटरू, जिला बारां

11— बंटीबाई पुत्री धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी जीरोद, तहसील अटरू, जिला बारां

12— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री आलोक गोयल एवं रमेश गोयल अभिभाषक
अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 48/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जीरोद, तहसील अटरू में खाता संख्या 44 की खसरा नम्बर 23 रकबा 0.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.32 हेक्टर कुल

किता 5 का रकबा 3.42 हेक्टर आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है । पक्षकारों में आपसी सहमति हो गयी थी जिसके आधार पर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण साठ गांठ कर वादिया का हिस्सा खुर्द बुर्द कर रहन बेचान एवं ऋण लेना चाहते हैं जिसको उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.04.2012 को दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाद में पक्षकार गलत बनाये गये हैं । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3 और 11 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । रेस्पोडेंट नम्बर 7, 8 और 9 को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं है । वे धन्ना लाल के लडकियों के पति बताये गये हैं जिसका वादग्रस्त आराजी में कोई सम्बन्ध नहीं है । कौशल्या बाई ने धन्ना लाल की मृत्यु के बाद रामकल्याण किराड से नाता किया है इस कारण कौशल्या बाई के हक समाप्त हो गये हैं । तनकीयात कायम नहीं की गई है और न ही उनकी विवेचना की गई है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट दिनांक 28.05.2012 से गम्भीर रूप से बीमार हो गया । इस कारण अधिवक्ता

से सम्पर्क नहीं कर पाये दिनांक 26.06.2012 को वकील साहब से मिलने पर निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी पेश किया । इस प्रार्थना पत्र में यह अंकित है कि अपीलांट मोती लाल पुत्र कजोड मीना का लडका है । धन्ना लाल जो वादिया कौशल्या बाई के पति और शेष वादीगण के पिता थे ने खसरा नम्बर 421 रकबा 0.32 हेक्टर, अपीलांट के पिता को जरिये इकरारनामा विक्रय किया था और कब्जा भी संभलाया था । इस कारण इस आराजी के बाबत दावा चलने योग्य नहीं है । अपीलांट और उसकी माता ने विशिष्ट अनुदान का दावा पेश कर रखा है जो दिनांक 18.07.2016 को डिक्री हो गया है जिसमें अनुबन्ध की पालना में पंजीयन कराने का आदेश दिया है और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः इस निर्णय को रेकार्ड पर लिया जाये । प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18.07.2016 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार जमना बाई और हेमराज का खसरा नम्बर 421 रकबा 0.32 हेक्टर आराजी के लिए विशिष्ट अनुपालना का दावा डिक्री किया गया है । पेश किये गये दस्तावेज न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पेश किये गये दस्तावेज को रेकार्ड पर लने की अनुमति दी जाती है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारे का दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांट का है । सिविल न्यायालय के द्वारा अपीलांट के पक्ष में डिक्री जारी की गई है । तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की है जो पृष्ठ संख्या 47 पर सलंग्न है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण हे एवं खारिज होने योग्य है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें अधिकार एवं स्वत्व ओल्ड हिन्दू ला के अनुसार तय होगे न कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार । तद्नुसार पुरूष उत्तराधिकार होने की स्थिति में महिला उत्तराधिकारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कायम की गई तनकीयात में से प्रत्येक तनकी की साक्ष्य के आधार पर विवेचना कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । साथ ही निर्णय करते समय ओल्ड हिन्दू ला के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय करें । साथ ही अपीलांट के पक्ष में सिविल न्यायालय से जो निर्णय दिनांक 18.07.2016 पारित हुआ है उसका भी अधिकार एवं स्वत्व तय करते समय ध्यान रखा जाये ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा